दिनांक- 23.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 612/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

ऑपरेशन दृष्टि के तहत स्थापित सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर मूक-बधिर 13 वर्षीय बालक को थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा 03 घंटे में सकुशल बरामद कर परिजनो को किया गया सुपुर्द।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में गुमशुदा व्यक्तियों/बालकों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 22.08.2026 को आवेदक गणेशी पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम करौरा डांग, थाना चरखारी द्वारा थाना उपस्थित होकर सूचना दी गई कि उनका नाती देवेंद्र पुत्र स्व0 प्रताप, उम्र करीब 13 वर्ष, मूक-बधिर/बोलने में असमर्थ है तथा घर से बिना किसी को बताए कहीं चला गया है।

सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष चरखारी उ0नि0 श्री राहुल मिश्रा द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए उपनिरीक्षक श्री भूपेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर बालक की तलाश हेतु रवाना किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए ऑपरेशन दृष्टि के तहत स्थापित सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया तथा प्राप्त सुरागों के आधार पर बालक की तलाश की गई। पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई एवं अथक प्रयासों के फलस्वरूप मात्र 03 घंटे के अंदर मूक-बधिर 13 वर्षीय बालक देवेंद्र को खन्ना टोल प्लाजा के पास से सकुशल बरामद कर लिया गया। आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त बालक को उसके नाना गणेशीलाल के सकुशल सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों द्वारा चरखारी पुलिस की त्वरित एवं सराहनीय कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया गया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री भूपेंद्र कुमार थाना चरखारी, जनपद महोबा
2. मु0आ0 श्री श्याम किशोर द्विवेदी थाना चरखारी, जनपद महोबा
3. आ0 श्री सचिन सरोज थाना चरखारी, जनपद महोबा

दिनांक- 23.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 613/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
- थाना महोबकंठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2026 धारा 61(2)ख/74/333/70(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राघवेन्द्र पुत्र अशोक कुमार यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम टपरन थाना महोबकंठ जनपद महोबा की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह द्वारा पुलिस टीम गठित की गई थी।
- गठित टीम में उ0नि0 रामकुमार एवं रि0का0 साहुल सरोज द्वारा मुखबिर की सूचना पर कनकुवा मोड़ से अभियुक्त राघवेन्द्र उपरोक्त को दिनांक 23.08.2026 को पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राघवेन्द्र पुत्र अशोक कुमार यादव, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम टपरन थाना महोबकंठ जनपद महोबा

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 124/2026 धारा 61(2)ख/74/333/70(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना महोबकंठ महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामकुमार थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. रि0का0 साहुल सरोज थाना महोबकंठ जनपद महोबा

दिनांक- 23.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 614/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभियान के तहत थानाध्यक्ष श्री राहुल मिश्रा द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित टीम में उ0नि0 राजनारायण मय हमराह हो0गा0 रामस्वरुप द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त देवसिंह राजपूत को ग्राम बमरारा थाना चरखारी जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध केश संख्या-284/24 धारा 323/504/506 भादवि व 3(2)Vक/3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट सम्बन्धित है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

देवसिंह राजपूत पुत्र स्व0 हरीचरन, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम बमरारा थाना चरखारी जनपद महोबा

अभियोग का विवरण-

केश संख्या-284/24 धारा 323/504/506 भादवि व 3(2)Vक/3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राजनारायण थाना चरखारी जनपद महोबा

2.हो0गा0 रामस्वरुप थाना चरखारी जनपद महोबा

दिनांक- 23.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 615/26

महोबा पुलिस

साइबर थाना महोबा में विवेचकों का अर्दली रूम आयोजित, लंबित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

- आज दिनांक 23.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़/साइबर श्री अनुरुद्ध कुमार द्वारा साइबर थाना महोबा में नियुक्त विवेचकों के साथ अर्दली रूम आयोजित किया गया।
- अर्दली रूम के दौरान साइबर अपराध से सम्बन्धित लंबित एवं प्रचलित विवेचनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। विवेचकों से प्रत्येक प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही, साक्ष्यों के संकलन, तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण तथा विवेचना की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई।
- क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा शासन की मंशानुरूप एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में साइबर अपराध से सम्बन्धित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही डिजिटल एवं तकनीकी साक्ष्यों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उनका नियमानुसार संकलन एवं विश्लेषण करने तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रभावी एवं साक्ष्यपरक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- इस दौरान लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने तथा साइबर अपराधों के नियंत्रण एवं प्रभावी रोकथाम हेतु विवेचनात्मक कार्यवाही में आवश्यक गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
- साइबर थाना महोबा में नियुक्त समस्त विवेचकों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए विवेचनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।

दिनांक- 23.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 616/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा खनन संबंधी मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह व उ0नि0 अनुज कुमार सिंह मय हमराह कां0 कुवँरपाल द्वारा आज दिनांक 23.08.2026 को मुकदमा अपराध संख्या 167/2026, धारा 316(2)/318(3)/111(2)(बी) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, 1957 से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को बाँदा तिराहा के आगे बाँदा की तरफ सड़क किनारे, ग्राम धरौन रोड मोड़ से थाना कबरई, जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अर्पित द्विवेदी पुत्र रज्जन द्विवेदी, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी बारा पोस्ट बारा, थाना जाफरगंज, जनपद फतेहपुर, हाल पता बाँदा चौराहा, किदवई नगर, थाना कबरई, जनपद महोबा
2. योगेश सिंह पुत्र राजेश सिंह, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम बबेडी, थाना कबरई, जनपद महोबा

बरामदगी/सीज वाहन-

- गिरफ्तार अभियुक्त अर्पित द्विवेदी के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल अपाचे, वाहन संख्या UP95U6259, जिसे धारा 207 एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया तथा एक अदद एप्पल मोबाइल फोन बरामद किया गया।
- अभियुक्त योगेश सिंह के कब्जे से घटना कारित करने में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए तथा एक अदद काली रंग की चार पहिया स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP95Z6732 को धारा 207 एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह, थाना कबरई

2.उ0नि0 अनुज कुमार सिंह, थाना कबरई

3.कां0 कुवँरपाल, थाना कबरई